तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	न... अहद... हुक्म की... मे जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 302/2025 प्रार्थनापत्र

01. अमरी पत्नी श्री जगदीश चन्द बलाई आयु वयस्क निवासी- चांदरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

--- प्रार्थीया

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

---- विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश कुमार जैन
2. पेरोकार सरकार

----अधिवक्ता प्रार्थी

--उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक- 09.09.2025

प्रार्थीया के द्वारा विपक्षी के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा- 251-ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बाहेडा जाटान तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे प्रार्थीया के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात जिसके आराजी नम्बर 1371/1103 रकबा 2.0234 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थीया के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थीया का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थीया की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 1104 जो कि करेड़ा-बागोर पक्की सड़क से होकर विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 1103 की उत्तरी मेड़ के सहारे होकर अपनी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी नम्बर 1371/1103 मे आता जाता जाता है। जिसमे से रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थीया का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थीया की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थीया को आराजियात पर आने जाने , संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया के नाम पर सरहद गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1371/1103 रकबा 2.0234 हैक्टयर दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 1103 विपक्षी के नाम दर्ज रेकार्ड है , मौके पर वर्तमान मे उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नही है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता डामरीकरण सड़क आराजी नम्बर 1104 से बिलानाम आराजी नम्बर 1103 मे से बाला के सहारे सहारे जो कि निकटतम रास्ता है। रास्ते के रूप मे 0.1868 हैक्टयर भूमि आती है, रास्ते मे ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि जो विपक्षी को देय है, प्रार्थीया अदा करने को तैयार है।

मैने प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , प्रार्थीया की आराजी नम्बर 1371/1103 रकबा 2.0234 हैक्टयर मे आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 1103 मे 30 फीट चौडाई मे रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थीया की सरहद गोविन्दपुरा पटवार हल्का चांदरास भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बाहेडा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) आराजी नम्बर 1371/1103 रकबा 2.0234 हैक्टयर मे आने जाने हेतु गै.मु. सड़क आराजी नम्बर 1104 से विपक्षी की आराजी नम्बर 1103 बिलानाम किस्म गे0 मु0 मगरी मे से बाला के सहारे सहारे 30 फीट चौडाई के रूप मे कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली भुमि आराजी नम्बर 1103 रकबा 6.9176 हैक्टयर मे से 0.1868 हैक्टयर भुमि जिसकी हैक्टयर मे गणना कर रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थीया से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति हेतु अदा की जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 09.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)